

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या-660/71-1-14-जी-66/2014
लखनऊ : दिनांक ५ मार्च, 2014

कार्यालय ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में सीधी भर्ती के विरुद्ध प्रवक्ता, फोरेन्सिक मेडिसिन विशिष्टता में प्रवक्ता के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु लोक सेवा आयोग, उ०प्र० के पत्र संख्या-172/08/सेवा-8/2012-13, दिनांक 20.12.2013 एवं पत्र संख्या-198/34/सेवा-8/2012-13, दिनांक 23.11.2013 में की गयी संस्तुति के आधार पर श्री राज्यपाल महोदय संलग्न सूची में उल्लिखित विवरणानुसार 12 अभ्यर्थियों को वेतन बैंड रु० 15600-39100, ग्रेड पे रु० 5400/- में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) संबंधित अभ्यर्थी को प्रवक्ता के पद/वेतनमान के अनुरूप समय-समय पर प्रदत्त शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।
- (2) संबंधित अभ्यर्थी एक माह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर ले अन्यथा यह नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जायेगा और उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।
- (3) नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु संबंधित अभ्यर्थी को किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय न होगा।
- (4) संबंधित अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राइवेट प्रैक्टिस निबन्धन नियमावली, 1983 के अनुसार प्राइवेट प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं होगी। मेडिकल अभ्यर्थियों को प्राइवेट प्रैक्टिस के बदले उन्हें नियमानुसार निर्धारित दर से प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।
- (5) उक्त नियुक्ति उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 तथा यथासंशोधित नियमावली के प्राविधानों के अधीन होगी तथा उक्त नियमावली के नियम-18 के अन्तर्गत परीवीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।
- (6) संबंधित अभ्यर्थी को यथावश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।

2- कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी को निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जाने आवश्यक होंगे:-

- (1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सेवा में हो और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके संबंधी न हो, द्वारा प्रदत्त अच्छे चरित्र का प्रमाणपत्र (संलग्न प्रारूप में)।
- (2) अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के संबंध में एक शपथपत्र (संलग्न प्रारूप में)।
- (3) ओथ एलीजिएन्स का प्रमाण-पत्र।
- (4) गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।
- (5) चल तथा अचल संपत्ति का प्रमाण-पत्र।
- (6) एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का प्रमाण-पत्र।

CA

15

7/3/2014

श्री ६९
७.3.14

3- अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व संबंधित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा संबंधित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथपत्र ले लिया जाएगा कि उनके चरित्र एवं प्राग्वत्त सत्यापन के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाए जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी।

बी० एस० भुल्लर
प्रमुख सचिव

संख्या-660 (1)/71-1-18, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया नियुक्ति आदेश की प्रति वेबसाइट पर डाल दे।
3. प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, कानपुर, इलाहाबाद, गोरखपुर, मेरठ, आगरा, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़।
4. कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर, इलाहाबाद, गोरखपुर, मेरठ, आगरा, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़।
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, उ०प्र० इलाहाबाद।
6. वित्त नियंत्रक, संबंधित मेडिकल कालेज, कानपुर, इलाहाबाद, गोरखपुर, मेरठ, आगरा, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़।
7. संबंधित चिकित्सा शिक्षक।
8. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ०प्र० इलाहाबाद को गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(शिवराम त्रिपाठी)
उप सचिव

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश ।

संख्या: एम०ई०-2/2014/477-28

लखनऊ दिनांक 10 मार्च, 2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, कानपुर, इलाहाबाद, गोरखपुर, मेरठ, आगरा, अम्बेडकरनगर तथा आजमगढ़।
2. संबंधित चिकित्सा शिक्षक।

(एल०एस० रावत)
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
कृते महानिदेशक

कार्यालय झाप संख्या-660 / 71-1-14-जी-66 / 2014
दिनांक ५ मार्च, 2014 का संलग्नक

क्र०	अभ्यर्थी का नाम	पत्र व्यवहार का पता	श्रेणी	स्थायी निवास का जनपद	राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज का नाम, जहाँ तैनाती की गयी है
1.	श्री पुनीत महेश चन्द्र अवस्थी	म०नं०-8/324, विकास नगर, लखनऊ, उ०प्र० पिन-226022	सामान्य	कानपुर	मेडिकल कालेज, कानपुर
2.	श्री राजेश कुमार राय	एस-4, कमलापति नगर कालोनी, औरंगाबाद, वाराणसी, उ०प्र०., पिन-221010	सामान्य	वाराणसी	मेडिकल कालेज, इलाहाबाद
3.	श्री जे०बी० किरण कुमार	म०नं०-4, आर ब्लॉक (रविदास भवन) शुभारतिपुरम्, शुभारति कैम्पस, मेरठ, उ०प्र०, पिन-250001	सामान्य	मेरठ	मेडिकल कालेज, मेरठ
4.	सुश्री विनीता कुशवाहा	म०नं०-सी-163/3, राजेन्द्र नगर, बरेली, उ०प्र०, पिन-243122	अन्य पिछड़ा वर्ग	बरेली	मेडिकल कालेज, कानपुर
5.	सुश्री रश्मि रस्तोगी	फ्लैट नं०-जी-1, 117/क्यू /45, इनविराड काम्पलेक्स, शारदा नगर, कानपुर	अन्य पिछड़ा वर्ग	लखनऊ	मेडिकल कालेज, कानपुर
6.	सुश्री ऋचा गुप्ता	म०नं०-13, आरोग धाम, आपोजिट शेखर रेजीडेन्सी, पश्चिमपुरी, सिकन्दरा, आगरा, उ०प्र०, पिन-282007	अन्य पिछड़ा वर्ग	आगरा	मेडिकल कालेज, आगरा
7.	श्री अजफर मतीन	म०नं० -4/462, जोहराबाग, दोधपुर, अलीगढ़, उ०प्र० पिन-202002	सामान्य	अलीगढ़	मेडिकल कालेज, अम्बेडकर नगर
8.	सुश्री इशरत फात्मा मजीदी	293, अजी मंजिल, पहाड़पुर, आजमगढ़, उ०प्र० पिन-276001	अन्य पिछड़ा वर्ग	आजमगढ़	मेडिकल कालेज, आजमगढ़
9.	श्री संजीत कुमार	40, टाईप-4, बी०आर०डी० मेडिकल कालेज कैम्पस, गोरखपुर, पिन-273013	अन्य पिछड़ा वर्ग	सुल्तानपुर	मेडिकल कालेज, गोरखपुर
10.	सुश्री सोनी वर्मा	112/219, फ्लैट नं०-9, ममता अपार्टमेंट, फेज-2, स्वरूप नगर, कानपुर, उ०प्र०, पिन-208002	अनुसूचित जाति	कानपुर	मेडिकल कालेज, कानपुर
11.	श्री राहुल देव	ग्राम व पोस्ट- गिरसी, जिला-कानपुर	अन्य पिछड़ा वर्ग	कानपुर	मेडिकल कालेज, कानपुर
12.	सुश्री संगीता कुमारी	सी-4, केन्द्रीय विहार कालोनी, सेक्टर-6, जानकीपुरम् एक्सटेंशन, लखनऊ-21	अन्य पिछड़ा वर्ग	देवरिया	मेडिकल कालेज, आगरा

(शिवराम त्रिपाठी)
उप सचिव